N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0208 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 15/08/2025 13:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/08/2025 Date To (दिनांक तक): 13/08/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:30 बजे Time To (समय तक): 16:38 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/08/2025 Time (समय): 09:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 15/08/2025 13:16:59 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 60 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b) Address(पता): POLICE THANA GOVINDGARH

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAYA CHANDA

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** LOKESH KUMAR MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	F73,C112, ROYAL CITY,KALWAR ROAD, JHOTWARA, JHOTWARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANEE GOMAWALI, GOAN SIHODEE TIRLOKPURA, SHRIMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHANKER LAL		पिता:BIRDHARAM MEENA	1. GUNAVADA,AMER,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 07.08.2025 को परिवादिया श्रीमती माया चांदा ने अपने पुत्र श्री आर्यन मीणा के साथ श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरे बेटे आर्यन के नाम एक कार RJ 45CN 0987 है। उक्त कार को निशांत मीणा चलाता है जो कि इसका दोस्त है। उक्त कार से बुकिंग लेकर निशांत मीणा अपना व हमारा आर्थिक सहयोग करता है। पुलिस थाना गोविन्दगढ जयपुर में उक्त कार के विरूद्ध एक पेट्रोल पम्प से तेल भराकर बिना पैसे दिए कार ले जाने पर FIR.NO 244/25 दर्ज हुई। थाने के श्री शंकर लाल मीणा ।ैप् ने मेरे बेटे को अवैध रूप से बन्द कर मारपीट की और 25000 रू वकील के मारफत लेकर मेरे बेटे को छोड़ दिया। निशांत को पकड़वाने के लिए श्री शंकर लाल मीणा ने गाड़ी ड्राइवर और खर्चा पानी के 40,000 रू माँगे थे जो मैंने श्री विक्रम कुमावत मोबाईल नम्बर [redacted] ड्राइवर के फोन पर मेरे पति के फोन से डलवाये थे अब शंकर लाल मीणा थाने पर खड़ी जब्त गाड़ी को छोड़ने और मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं करने के नाम पर 5000 रू माँग रहा है मैं शंकर लाल मीणा को रिश्वत नहीं देना चाहती। मेरा शंकर लाल मीणा को कोई उधार लेन देन है और किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादिया की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर परिवादिया श्रीमती माया चांदा को उनके पुत्र श्री आर्यन मीणा के साथ हमरोह लेकर कार्यालय में आकर परिवादिया से उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त कि तो परिवादिया श्रीमती माया चान्दा ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताते हुये प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की तथा बताया कि निशान्त मीणा को हमने पुलिस में पेश कर गिरफ्तार करवा दिया है और हमारी गाडी भी पुलिस को दे दी है अब श्री शंकर लाल मीणा एएसआई फाईल में मेरे बेटे आर्यन मीणा को गिरफ्तार नही करने और जब्त गाडी को छोडने के 5000/- रूपये माँग रहा है। इस प्रकार परिवादिया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता हैं जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। जिस हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादिया एवं उनके पुत्र श्री आर्यन मीणा व कानि0 श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कानि0 श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादिया को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादिया के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादिया तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। परिवादिया को सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 के साथ गोपनियता की हिदायत की गई। इसी दौरान परिवादिया ने बताया कि अभी जब्त गाडी को छुडवाने के लिए कोर्ट से मोचन आदेश नही हुये है। मैं अभी जब्त गाडी के मोचन आदेश के लिए कोर्ट में मेरे वकील साहब के पास जा रही हूँ। रिलिज आर्डर प्राप्त करने के बाद मैं आपको बता दूगी तब आप श्री महेन्द्र कुमार कानि 372 को सत्यापन कार्यवाही हेतु चौमू पुलिया भेज देना जहाँ से हम सत्यापन के लिए गोविन्दगढ चले जायेगे। श्री शंकर लाल एएसआई सत्यापन के साथ ही रूपये मागेगा इस लिए आप उसे आज ही रगे हाथों पकडने की कार्यवाही करे। इस पर परिवादिया तथा उसके पुत्र को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया तथा श्री महेन्द्र कुमार कानि372 से डीवीआर को सुरक्षित वापस अलमारी में रखवाया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुये स्वतंत्र गवाहान पाबंद करवाये गये। दिनांक 12.08.2025 को परिवादिया द्वारा कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलने पर मन् पुलिस निरक्षक को अग्रिम सत्यापन कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। चूंकि दिनांक 12.08.2025 को श्री महेन्द्र कुमार कानि0 372 आकस्मिक अवकाश पर होने पर श्री मनीष कानि. 486 को तलब कर अलमारी से पूर्व में सुरक्षित रखा डीवीआर मंगवाया तथा श्री मनीष सिंह कानि. 486 को परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया। श्री मनीष सिंह कानि. 486 व परिवादिया के मोबाईल नम्बर का आपस मे आदान -प्रदान किया जाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु डीवीआर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर कानि. को सुपुर्द

किया। परिवादिया को वाईस कॉल करने पर परिवादिया ने चौमू पुलिया पर इन्तजार करना बताया। जिस पर परिवादिया को श्री मनीष सिंह कानि. 486 के पहुचने पर सत्यापन कार्यवाही करवाने की हिदायत दी गई। कुछ ही समय पश्चात परिवादिया ने व्हाट्सअप वाईस कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे साथ मेरे पति भी सत्यापन कार्यवाही के लिए जायेगे लेकिन आज इन को जरूरी काम आ गया है इसलिए आज सत्यापन कार्यवाही के लिए नही जा पायेगे। इस पर कानि. श्री मनीष सिह को तलब कर सत्यापन कार्यवाही के लिए आईन्दा पाबन्द किया जाकर डीवीआर प्राप्त कर अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादिया को व्हाट्सअप वाईस कॉल कर सत्यापन वार्ता के लिए जाने का समय बताने के लिए कहा तो परिवादिया ने बताया कि कल सुबह 8.30 ए.एम पर आप श्री मनीष सिंह को चौमू पुलिया भेज दें वहाँ से हम मेरे पति के साथ गोविन्दगढ थाने चले जायेगे। जिस पर श्री मनीष सिंह कानि0 486 को डीवीआर सुपुर्द कर आईन्दा निर्धारित समय पर डीवीआर लेकर परिवादिया से सम्पर्क करने व नियमानुसार गोपनीय सत्यापन कराने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 द्वारा दिनांक 13.08.2025 को परिवादिया के साथ पुलिस थाना गोविन्दगढ जाकर गोपनीय सत्यापन करवाया गया उक्त गोपनीय सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादिया द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर संदिग्ध अधिकारी श्री शंकरलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना गोविन्दगढ द्वारा जप्त गाडी छोडने एवं परिवादिया के बेटे को मुकदमें में नही फसाने की एवज में 5000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा आज दिनांक को ही रिश्वत राशि लेने हेतु दबाब बनाना सत्यापित हुआ। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व के पाबन्द शुदा गवाहान श्री लक्ष्मण गौतम,कनिठ सहायक व श्री जवान सिह गुर्जर,सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल प्रताप नगर जयपुर को ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने के लिए जरिये फोन तलब करने पर दोनों गवाहान मुख्यालय उपस्थित आये। गवाहान को नाम पता पूछने पर क्रमशः श्री लक्ष्मण गौतम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, उम्र-29 वर्ष निवासी-गॉव मोरपा तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर हाल- कनिष्ठ सहायक, कार्यालयवृत्त-प्रथम,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर तथा श्री जवान सिंहगुर्जर पुत्र श्री पदम गुर्जर उम्र-52 वर्ष निवासी-प्लोट नम्बर 163/58, प्रताप नगर,सांगानेर जयपुर हाल- सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय वृत्त-प्रथम,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर होना बताया। दोनो गवाहान को ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने के संबंध में जानकारी दी जाकर मुनासिब हिदायत की गई। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें रिकॉर्ड परिवादिया एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य आज दिनांक 13.08.2025 को रिश्वती राशि मांग सम्बन्धी वार्ता, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादिया की शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से ट्रेपकार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष परिवादिया श्रीमती माया चान्दा को दिनांक 13.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादिया श्रीमती माया चान्दा ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 5,000/-रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। महिला श्रीमती मंजू सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादिया द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,000/- रूपये के 10 नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के) पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस कर फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् परिवादिया की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, परिवादिया श्रीमती माया चान्दा, स्वतंत्र गवाहान श्री लक्ष्मण गौतम, श्री जवान सिंह, मय श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री महेन्द्र कुमार कानि0 न0 372, श्री मनीष सिंह कानि0 न0 486, श्री धर्म सिंह कानि.नं. 249, श्री जीतराम कानि.204 श्री कमलेश कुमार हैड कानि0 74 कानि. चालक श्री मिठालाल नं.514 के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर गोविन्दगढ बस स्टेण्ड के पास पुलिस थाना की तरफ जाने वाले रास्ते से थोड़ा आगे पहुचकर गाड़ी को साईड में खड़ी करवाकर ट्रेप पार्टी टीम एवं परिवादिया को पुनः संदिग्ध अधिकारी से मिलने तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा मन् पुलिस निरीक्षक तथा श्री मनीष सिंह कानि0 के मोबाईल पर पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री मनीष सिंह कानि0 से रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादिया को सुपुर्द करवाकर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के लिये पुलिस थाना गोविन्दगढ के लिये रवाना किया गया। श्री मनीष सिंह कानि0 तथा स्वतंत्र गवाहान को परिवादिया के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये

संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादिया के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत कर रवाना किया गया। सरकारी वाहन को गोविन्दगढ बस स्टैण्ड पर साईड में खडा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी परिवादिया के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादिया के आस-पास रहते हुये उस पर निगरानी रखते हुये परिवादिया के इंशारे के इंतजार में मुकीम हुये।समय 04.38 पीएम पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादिया श्रीमति माया चॉदा ने मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व में निर्धारित अनुसार कॉल किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त टीम को पुलिस थाना गोविन्दगढ में संदिग्ध आरोपी के कमरे के पास पहॅुचने का ईषारा कर हमराहियान स्वतंत्र गवाहान तथा टीम सदस्यों के साथ पुलिस थाना गोविन्दगढ में संदिग्ध आरोपी के कमरे के सामने पहुचे। जहॉं पर परिवादिया श्रीमति माया चॉदा ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसे प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादिया ने बताया कि अभी-अभी थानेदार जी ने मेरे से 5000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी टेबल की बायी तरफ दराज में रखे हैं तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद ही मुझे जब्त की गई मेरी गाडी की चाबी दी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय टीम द्वारा परिवादिया के बताये अनुसार कमरे में प्रवेश किया तो सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को परिवादिया ने श्री शंकर लाल मीणा थानेदार होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय दिया जाकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो संदिग्ध व्यक्ति हडबडा कर कुर्सी मे उठ कर भागने की कोशिश करने लगा तथा कहने लगा कि मैने कोई पैसे नहीं लिये है, जिसको हमराही जाब्ता की मदद से रोका गया, इसी दौरान संदिग्ध आरोपी ने अपने हाथ में कुछ कागजात ले रखे थे, जिनको संदिग्ध आरोपी तोड़ मरोड़ने की कोशिश करने लगा, जिनको संदिग्ध आरोपी से प्राप्त किये जाकर अवलोकन किया गया तो श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं जिला जयपुर द्वारा जारी मूल रिलीज ऑर्डर दिनांक 12.08.2025 वाहन संख्या आर जे 45 सीएन 0987 आर्यन कुमार मीणा के नाम जारी मय वाहन के आरसी की फोटो प्रति, आर्यन मीणा के आधार कार्ड की फोटोप्रति, फर्द पंचनामा व वाहन संख्या आर जे 45 सीएन 0987 के चारो तरफ से करवाये गये फोटोग्राफ्स की प्रतियां होने पर कब्जा एसीबी लिया जाकर उपरोक्त कागजात के सम्बन्ध में संदिग्ध आरोपी को पूछने पर बताया कि इन कागजात पर श्रीमती माया चांदा के हस्ताक्षर नहीं हुये थे। श्रीमती माया के अभी मेरे पास आने पर मैंने माया के हस्ताक्षर करवाकर गाडी की चाबी माया को सुपुर्द कर दी है, जिस पर मौके पर मौजूद परिवादिया श्रीमति माया चॉदा ने आरोपी की पैसे नहीं लेने वाली बात का खण्डन करते हुये कहा कि अभी अभी थानेदार जी ने मेरे से 5000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी टेबल की दराज में रखे हैं, जिस पर आरोपी को पुनः तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री शंकर लाल मीणा पुत्र स्व. श्री बिरधा राम मीणा,उम्र 56 साल निवासी गुनावता, थाना व तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया जिसको परिवादिया से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैनें कोई पैसे नही मॉंगे है ओर ना ही मैने पैसे लिये है मेरा कमरा खुला रहता है यदि किसी ने दराज में रख दिये है तो मुझे पता नही, जिस पर मौके पर मौजूद परिवादिया श्रीमती माया चॉदा ने पुनः आरोपी की बात का पुरजोर खण्डन करते हुये कहा कि थानेदार जी ने पैसे देने के बाद में ही गाडी की चाबी देने के लिये मुझे कहा, जिस पर थानेदार के मॉंगने पर मैने रिश्वत राशि 5000/- रूपये थानेदार जी को दिये जो थानेदार जी ने लेकर अपने दोनो हाथों से गिन कर अपनी टेबल की दराज में रख दिये तथा कागजों पर मेरे हस्ताक्षर करवाकर मुझे गाडी की चाबी दी है, इस दौरान मेरा लड़का आर्यन मीणा भी मौजूद था, जिस पर हमराही जाप्ता में से श्री महेन्द्र कुमार कानि., कानि. श्री जीतराम व हैडकानि. श्री कमलेश को संदिग्ध आरोपी के हाथों को कलाई के उपर से पकड कर रखने की हिदायत कर परिवादिया द्वारा बतायी गई बातो की पुष्टि के लिये गवाह श्री लक्ष्मण गौतम को आरोपी की टेबल की दराज की तलाशी लेने हेतु कहा गया तो गवाह लक्ष्मण गौतम ने टेबल की दराज में बनी द्वितीय रेक मे से 500-500 के नोट निकाले जिनको गिनवाये जाने पर कुल 10 नोट 500-500 रूपये की राशि 5000/- रूपये होना पाया गया। जिनके नम्बरों का फर्द पेशकशी में अकित नोटो के नम्बरो मे मिलान करवाया गया तो हूबहू होना पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित (फर्दानुसार) किये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि को गवाह लक्ष्मण गौतम के पास सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात् परिवादिया द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 मे चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L -2अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री शंकर लाल मीणा के कार्यालय कक्ष की टेबल के बांयी तरफ के बीच के ड्रॉवर, जहां से

रिश्वतराशिबरामद हुई है उस जगह धोवन लिये जाने हेतु प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल तैयार कर एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर मीलचिट कर मार्क T-1 व T-2अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्काC अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि 5,000/- रूपये को गवाह श्री लक्ष्मण गौतम से प्राप्त किये जाकर नियमानुसार शील्डचीट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री शंकर लाल मीणा को परिवादिया श्रीमती माया चान्दा से सम्बंधित लम्बित कार्य तथा वाहन रिलीज का मूल न्यायालय आदेश मय सम्बन्धित कागजात स्वयं के पास होने के सम्बन्ध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि परिवादिया के लडके आर्यन मीणा के विरूद्ध थाना गोविन्दगढ़ पर मुकदमा नम्बर 244/2025 धारा 308 (2), 115 (2) व 126 (2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया था, जिसमें मैंने आर्यन मीणा का पूर्व में पूछताछ नोट बना लिया था तथा आर्यन मीणा की मुकदमें में कोई भूमिका नही होना पायी गई थी, परन्तु आर्यन मीणा की गाडी वारदात में प्रयुक्त होने पर गाडी को बतौर वजह सबूत मुकदमा में जब्त किया गया था, जिसका कोर्ट से सुपुर्दगी आदेश आज सुबह ही आर्यन मीणा एचएम मालखाना के पास लेकर आया था। उस समय आर्यन मीणा की मम्मी माया चान्दा नही आयी थी, तो मैंने साईन करवाने हेतु उपरोक्त कागजात एवं गाडी की चाबी एचएम मालखाना से प्राप्त कर मेरे पास रख लिये थे तथा हस्ताक्षर हेतु मैंने माया चान्दा को बुलवाया था, जो अभी कुछ देर पहले मेरे पास आयी थी। मैंने माया चान्दा से साईन करवाकर गाडी की चाबी सुपुर्द कर दी थी। उपरोक्त कागजात के सम्बन्ध में एचएम मालखाना को तलब कर पूछताछ की गई तो श्री श्रवण कुमारएचसी नम्बर 412, मालखाना एचएम, पुलिस थाना गोविन्दगढ़ ने बताया कि उपरोक्त वाहन संख्या आरजे 45 सीएन 0987 का माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमूं का दिनांक 12.08.2025 को श्री आर्यन कुमार मीणा के नाम रिलीज करने के आदेश मेरे पास आज दिनांक 13.08.2025 को श्री आर्यन व इसके पिता दोपहर में लेकर आये थे, जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में वाहन का फर्द पंचायत नामा मूर्तिब किया गया था, जिसमें श्री आर्यन मीणा के बताये अनुसार रूबरू गवाहान में श्रीमती माया देवी का नाम अंकित किया गया था, परन्तु श्रीमती माया देवी के उपस्थित नही आने के कारण फर्द पर माया देवी के हस्ताक्षर नही करवाये जा सके, जिस पर प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक ने उपरोक्त मूल कागजात मय वाहन की चाबी मुझसे प्राप्त कर ली थी तथा माया देवी के आने पर हस्ताक्षर करवाकर चाबी सुपुर्द कर कागज मालखाना में वापस लौटाने हेतु कहा था। चूंकि उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण के अनुसंधानिक अधिकारी होने एवं थाना प्रभारी का चार्ज इनके पास होने के कारण मैंने वाहन सुपुर्दगी के मूल कागजात तथा वाहन की चाबी श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक को दे दी थी। जिस पर उपरोक्त मूल कागजात श्री श्रवण कुमार एचएम मालखाना को सुपुर्द किये जाकर कागजात् की प्रमाणित प्रति पेश किये जाने की हिदायत की गई। प्रकरण संख्या 244/2025 की केस डायरी/पत्रावली के बारे में पूछने पर आरोपी श्री शंकर लाल, सहायक उप निरीक्षक ने अपनी टेबल पर रखे कागजों में से एक पत्रावली निकाल कर पेश की तथा उक्त पत्रावली को आर्यन मीणा के वाहन के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण की पत्रावली होना बताया, जिसका मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो उपरोक्त प्रकरण संख्या 244/2025 दिनांक 01.07.2025 को दर्ज होकर तफ्तीश श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक के जिम्मे किये जाना पाया गया तथा अन्तिम केस डायरी संख्या 04 दिनांक 04.08.2025 को किता होना पाया गया। जिस पर मौजूद श्री श्रवण कुमार एचएम मालखाना को थानाधिकारी के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि थानाधिकारी महोदय राजकार्य से बाहर गये हुये हैं तथा थाने का कार्यभार श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक के नाम किया गया था। श्री शंकर लाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही होने के उपरान्त् थाने पर मैं ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हूँ। मेरे पास एचएम प्रशासन का चार्ज भी है। जिस पर उपरोक्त प्रकरण संख्या 244/2025 की मूल पत्रावली श्री श्रवण कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु थानाधिकारी के नाम तहरीर जारी कर एक प्रति श्री श्रवण कुमार एचसी को दी गई। कुछ समय पश्चात् उपरोक्त प्रकरण की प्रमाणित पत्रावली पेज संख्या 01 लगायत 98 तक तथा वाहन संख्या आरजे 45 सीएन 0987 का रिलीज ऑर्डर, फर्द पंचनामा व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रमाणित छायाप्रति पेज संख्या 01 लगायत 09 तक श्री श्रवण कुमार द्वारा पेश किये जाने पर प्रथम व अन्तिम पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद अवलोकन कब्जा एसीबी लिये गये। मूल प्रकरण पत्रावली एवं रिलीज ऑर्डर प्रकरण का अनुसंधान लम्बित होने के कारण श्री श्रवण कुमार को सुपुर्द की गई। प्रावधानानुसार आरोपी के कब्जे से रिश्वत राषि बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग विभागीय कैमरे से श्री जीतराम कानि. 204 से करवाई गई, जिसकी आईन्दा नियमानुसार सीडी/डीवीडी तैयार की जावेगी। डीवीआर में आरोपी श्री शंकर लाल मीणा की आवाज रिश्वत मॉग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान रिकॉर्ड होने से आरोपी को स्वयं की आवाज का परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने परीक्षण के लिये अपनी नमूना आवाज देने से इनकार किया जिसकी पृथक से फर्द प्रामी नमूना आवाज मूर्तिब कर आरोपी से नमूना आवाज परीक्षण मनाही बाबत लिखित में प्राप्त की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री शकर लाल मीणा पुत्र स्व.श्री बिरधा राम मीणा,उम्र 56 साल निवासी

गुनावदा, थाना व तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गोविन्दगढ, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादिया श्रीमती माया चान्दा के लडके श्री आर्यन मीणा को प्रकरण संख्या 244/2025 में गिरफ्तार करने का भय दिखाकर व आर्यन मीणा के वाहन संख्या आरजे 45 सीएन 0987 को रिलीज करने की एवज में आज दिनांक 13.08.2025 को दौराने सत्यापन परिवादिया व उसके पति श्री लोकेश कुमार से 5,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा उपरोक्त मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादिया श्रीमती माया चान्दा से 5,000/- रूपये की रिश्वत राशि बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री शंकर लाल मीणा को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बतायेनुसार आरोपी के छोटे भाई श्री भागचन्द मीणा को दी गई। तत्पश्चात परिवादिया की निशांदेही से स्वतंत्र गवाहान के रूबरू घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री शंकर लाल मीणा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़, जयपुर के चिकित्साधिकारी के नाम तहरीर जारी कर श्री कमलेश कुमार हैडकानि.74 एवं श्री जीतराम कानि. 204 के हमराह आरोपी को भिजवाया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री शंकर लाल मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मण गौतम से लिवाई गई थी जिसमें मिले एक वीवो कम्पनी को मोबाईल फोन, एक पर्स जिसमें 590/- रूप्ये नगद एवं स्वयं का विभागीय पहचान पत्र, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का पुलिस पास, एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड मिले। उपरोक्त जामा तलाशी में मिला सामान अनुसंधान में वांछित नही होने से आरोपी के बताये अनुसार आरोपी के छोटे भाई श्री भागचन्द मीणा को पृथक से सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री शंकर लाल मीणा, ए.एस.आई के कमरे से बरामद प्रकरणों की पत्रावलियाँ, दस्तावेजात तथा आरोपी ए.एस.आई. के कमरे को लॉक कर उसकी चाबी एच.एम. थाना को सुपुर्द की गई तथा तत्पश्चात रात्रि का अत्यधिक समय होने के कारण ट्रेप कार्यवाही में शेष रही कार्यवाही/फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु परिवादिया श्रीमती माया चान्दा एवं उनके पुत्र श्री आर्यन मीणा को कल सुबह कार्यालय समय 9.30 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 14.08.2025 को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष दिनांक 13.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत राशि आदान-प्रदान दिनांक 13.08.2025 को परिवादिया तथा आरोपी श्री शंकरलाल मीणा के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष दिनांक 13.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत राशि आदान-प्रदान दिनांक 13.08.2025 को परिवादिया तथा आरोपी श्री शंकरलाल मीणा के मध्य हुई वार्ता की वॉयस क्लिपों को कम्प्यूटर के जरिये चार सीडियां तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक कवर में रखकर टेप लगाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर उस पर टेप लगाकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत उक्त हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वतराशि की श्री जीतराम कानि.नं. 204 से विभागीय पैनासोनिक केमरे से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई, जो विडियो कैमेरे के 64 जीबी सनडिस्क मैमोरी कार्ड में सेव है। जिसकी कॉपी हेतु दो अन्य खाली मैमोरी कार्ड 32 सीबी सनडिस्क की व्यवस्था कर विभागीय लेपटॉप की सहायता से विडियो कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड में संरक्षित/सेव डाटा/विडियो क्लिप्स को दोनों खाली मेमोरी कार्डो में बारी-बारी से सेव/डाउनलोड किया गया। मेमोरी कार्डो की एफटीके इमेजर की सहायता से हैश वेल्यू निकाली गई। विडियो कैमरे के मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर प्लास्टिक कवर में सुरक्षित रखकर माचिस की खाली डिब्बी में उक्त मैमोरी कार्ड को प्लास्टिक कवर सहित रखकर माचिस की डिब्बी को टैप लगाकर सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सीलकर शील्डमोहर कर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को टैप लगाकर सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सीलकर शील्डमोहर कर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे तीसरे मैमोरी कार्ड को भी बाहर निकाल कर सफेद कागज में लपेटकर अनुसन्धान अधिकारी के लिये खुला रखा गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री शकर लाल मीणा पुत्र स्व. श्री बिरधा राम मीणा,उम्र 56 साल निवासी गुनावदा, थाना व तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल महायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गोविन्दगढ, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादिया श्रीमती माया चान्दा के लडके श्री आर्यन मीणा को प्रकरण संख्या 244/2025 में गिरफ्तार करने का भय दिखाकर व आर्यन मीणा के वाहन संख्या आरजे 45 सीएन 0987 को रिलीज करने की एवज में दिनांक 13.08.2025 को दौराने सत्यापन परिवादिया से 5,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा उपरोक्त मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादिया श्रीमती माया चान्दा से 5,000/- रूपये की रिश्वत राशि बतौर अनुचित

लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री शकर लाल मीणा पुत्र स्व. श्री बिरधा राम मीणा,उम्र 56 साल निवासी गुनावदा, थाना व तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गोविन्दगढ, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (रघुवीर शरण) पुलिस निरीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.........कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शकर लाल मीणा पुत्र स्व. श्री बिरधा राम मीणा,उम्र 56 साल निवासी गुनावदा, थाना व तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना गोविन्दगढ, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अर्चना मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.प्रथम,जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 301 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1182-85 दिनांक 15.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-01,जयपुर।2.उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ARCHANA MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1?/?/2025 ??:??:?4

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(c (कद(से.मी
1	2	3	4	5
1	Male	1969		

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)
8	9	10	11

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)			
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)
14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the s

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी